पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

रूफ टॉप गार्डेनिंग से संवरेगी शहरी क्षेत्र में बागवानी
– उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह

सब्जियों, फलों, औषधीय पौधों और मसालों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रूफ टॉप गार्डेनिंग योजना बनाने के लिए निर्देश

लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर सहित प्रमुख शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी शुरूआत

जागरूकता और निःशुल्क किट व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे

लखनऊ : 13 सितंबर, 2025

प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिनेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को उद्यान निदेशालय के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक कर शहरी क्षेत्रों में घरों की छत पर सब्जियों, फलों, औषधीय पौधों और मसालों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु रूफ टॉप गार्डेनिंग योजना बनाए जाने के निर्देश दिए।

उद्यान मंत्री ने कहा कि रूफ टॉप गार्डेनिंग शहरी क्षेत्र में बागवानी का एक उत्तम तरीका है, जिससे वातावरण में हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। उन्होंने बताया कि सीमित स्थानों में हरियाली बढ़ाने का यह एक आधुनिक उपाय है, जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इससे नागरिकों को जैविक रूप से उगाई गई उच्च गुणवत्ता की सब्जियां और फल भी प्राप्त होंगे।

उद्यान मंत्री ने निर्देश दिया कि इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव आईआईवीआर वाराणसी के तकनीकी सहयोग से तैयार कर भारत सरकार से अनुमोदित कराया जाए। योजना को प्रारंभिक चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर आदि प्रमुख शहरों में शुरू किया जाए, जिससे शहरी क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा मिले।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री बी.एल मीणा ने कहा कि इसके लिए नागरिकों के मध्य जागरुकता और प्रचार प्रसार के दृष्टिगत निःशुल्क किट वितरण व प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में निदेशक उद्यान डॉ. बी.पी. राम, वित्त नियंत्रक श्री अनिल कुमार सिंह संयुक्त निदेशक सर्वेश कुमार सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सम्पर्क सूत्र– प्रदीप कुमार

वैशाली माथुर / 04:15 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in